

(vi) **Need to consider the demands of All India Secondary Teachers' Federation**

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura) : It is well-known that education is an important means of promoting national national unity and national integration. But the system of Secondary Education is not yet uniform all over the country and the pay-scales and the service conditions of the Secondary teachers and the employees of the Secondary schools are widely different in various parts of the country.

The All India Secondary Teachers' Federation, the biggest forum of the Secondary teachers with a membership of 8 lakh Secondary teachers has been demanding the appointment of a School Grants Commission on the lines of the University Grants Commission to look into the proper growth and a progressive system of Secondary Education along with a uniform system of service conditions and uniform pay-scales for different categories of teachers and employees working in Secondary Schools.

Last year they submitted a memorandum to the Prime Minister and sought an appointment with Education Minister for a discussion on the same. While the Prime Minister received their Memorandum in person, the Education Minister is yet to fix a time for the discussion.

In the interest of education I request the Minister of Education to promptly act on the points raised in their memorandum, particularly on the appointment of a School Grants Commission.

(vii) **Agitation by employees of C. and A. G. of India against the re-organisation of Accounts and Audit Departments in the States**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं आप का एवं सदन का ध्यान निम्नलिखित अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान की धारा 148 से 151 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक विशिष्ट एवं स्वतन्त्र स्थान दिया है। ऐसा करने

में उद्देश्य यह है कि वह देश के अर्थतन्त्र के सजग प्रहरी के रूप में बगैर सरकारी हस्तक्षेप के अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी व्यय पर नजर रखता है और उस में बरती गई किसी भी अनियमितता को आडिट रपट के माध्यम से राज्य विधान सभाओं तथा संसद के समक्ष सही मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करता है। यह रपट देश की वित्तीय कार्यक्षमता की समीक्षा करती है जिसमें केन्द्र या राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था की कटु आलोचना भी होती है जो सरकारी व्यय पर प्रभावशाली अंकुश का काम करती है।

देश के हर राज्य में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में महालेखाकार काम करते हैं जिनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 70,000 है। महालेखाकार, राज्य सरकारों के आय तथा व्यय का आडिट करने के साथ-साथ उनके एकाउन्ट्स की भी देख-रेख करता है।

सन् 1976 ई० में केन्द्रीय मंत्रालयों का सारा लेखा कार्य आडिट विभाग से अलग कर दिया तथा कर्मचारियों के एक बड़े भाग को विभिन्न स्थानों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानान्तरित किया गया। अब राजकीय लेखा-कार्य को भी इस विभाग से अलग कर सरकारी नियन्त्रण में देने पर विचार किया जा रहा है।

पुनर्गठन की इस भेदभावपूर्ण योजना के विरुद्ध आडिट विभाग के 60,000 कर्मचारी बाध्य होकर संघर्ष कर रहे हैं।

अतः सरकार से मांग है कि स्वच्छ प्रशासन को रखने एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों के कार्यालयों का विभाजन न करें।